

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3292
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

बढ़ती बेरोजगारी

3292 श्री सी. वी. षनमुगम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार रोजगार सृजन का वादा पूरा कर रही है;
- (घ) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-वार कितनी नौकरियाँ सृजित और प्रदान की गईं;
- (ङ) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है;
- (च) यदि हाँ, तो बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार प्रदान किया जा रहा है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;
- (छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अलावा, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के पूंजी, एल श्रम, ई ऊर्जा, एम सामग्री और सेवाएं) डेटाबेस विभिन्न क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान देश में कुल 16.83 करोड़ रोजगार सृजित हुए। वर्षवार विवरण <https://rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx> पर देखे जा सकते हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता में वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, अपनी नौकरी गंवाने वाले बीमित श्रमिकों को पात्रता के अनुसार, बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है।
